छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दि. 30/06/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में निर्देश।

—::—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत आ. जा. तथा अनु. जा.वि.वि. का पत्र क. 3095/129/2012/25–2, दि. 08.05.2014 एवं इस विभाग के परिपत्र क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दि. 24.09.2013 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3/ अतः इस संबंध मे निर्देशित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तत्काल समुचित निर्देश दें तथा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दि. 30/06/2014

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जाति तथा अनु. जाति वि.वि. की ओर उनके पत्र क. 3095/129/2012/25–2, दिनांक 08.05.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क. 543/मुमंस/2014/व्हीआईपी, दिनांक 05.04.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, भूतपूर्व सांसद सदस्य (लोकसभा), न्यू सिविल लाइन्स, राजनांदगांव (छ.ग.) ओर उनके पत्र क. 771/सां.का./TWD/2014, दिनांक 16.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 17/11/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.08.2014.

---::---

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने एवं "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" की व्यवस्था की प्रक्रिया मे सरलीकरण के संबंध में आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि. के पत्र क्रमांक 3816/आरा.1228/2012/25–2, दिनांक 08.05.2013 एवं इस विभाग के परिपत्र क्र. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किए गए है साथ ही उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस विभाग के संदर्भित समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30.06.2014 द्वारा निर्देश दिए गए हैं।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में आवेदकों को हो रही कठिनाई का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है, शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयाँ नियमों से संबंधित न होकर नियमों के कियान्वयन से संबंधित हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि जाति प्रमाण–पत्र के आवेदन–पत्र ऑनलाईन भी प्राप्त किये जाएं, तथा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल छोडने के पूर्व उन्हें जाति प्रमाण–पत्र प्रदाय कराना सुनिश्चित करें। जाति प्रमाण–पत्र जारी करने में हो रही कठिनाईयों का निराकरण सभी जिलों में विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर ली जाए।

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः2...

पृ. कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 17/11/2014
प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, आ0जा0 तथा अनु0जा0वि0 विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
4. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, मंत्रालय, नया रायपुर
7. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नया रायपुर
8. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, नया रायपुर
9. संभागीय आयुक्त रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा
10. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, नया रायपुर
11. रजिस्ट्रार जनरल, मान0 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
12. अवर सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर
13. मान0 मंत्रीगण/विशेष सहायक/निज सहायक छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़
16. संचालक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग